कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.03.2024

विषयः- थाना बड़ागाँव पुलिस नें 268.47 ग्राम हेरोइन(अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये) के साथ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त XUV-500 कार व 01 अदद यामाहा बाइक बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में अवैध मादक पदार्थो की बिक्री, अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में दिनांक 28.03.2024 को श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में थाना बड़ागाँव पुलिस टीम द्वारा **ईदीलपुर मोड़** से 03 नफर अभियुक्तों को अवैध नशीला पदार्थ (भूरे रंग का पाउडर) के साथ गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन महिन्द्रा XUV-500 व एक अदद मोटरसाईकिल को बरामद किया गया।

दिनांक 28.03.2024 को थानाध्यक्ष बड़ागाँव श्री आशीष मिश्रा मय पुलिस टीम के साथ ईदीलपुर हरहुआ रिंग रोड पर भ्रमणशील होकर गश्त कर रहे थे कि तभी **ईदीलपुर मोड़** के पास एक काले रंग की चार पहिया वाहन खड़ा दिखाई दिया। संदेह होने पर वाहन के पास पहुँचकर देखा तो 03 नवयुवक वाहन के अन्दर बैठे हुए थे। वाहन का चेकिंग से वाहन महिन्द्र SUV-500 कम्पनी व वाहन का रजिस्ट्रेशन न0 UP 32 FJ 1598 अंकित होना पाया गया तथा वाहन की तलाशी लिया गया तो वाहन के ड्रावर के पास से एक सफेद रंग के थैले में रखा भूरे रंग का पाउडर (हेरोइन) बरामद हुआ। पास में खड़े एक अदद मोटरसाईकिल यमाहा रजि0न0 UP 65 BC 8086 को भी अपना होना बताया। थानाध्यक्ष श्री आशीष मिश्रा थाना बड़ागाव द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण को उनके अपराध से बोध कराते हुए गिरफ्तार कर बरामद नशीला पदार्थ को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त दोनो वाहनो को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बरामद नशीले पदार्थ के बारे में बताया गया कि यह हेरोइन है जिसे वह बिहार से खरीद कर लाये हैं। यहाँ पर वह लोग खरीदार को नमूना लेकर दिखाते हैं और पसन्द होने पर माल को बेच देते हैं। वह लोग खरीदार का इन्तजार कर रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये। जिससे वह माल खरीदें हैं उसके बारे में पूछा गया तो बताये कि वह सिर्फ उसका चेहरा पहचानते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सैफअली खान पुत्र असलम खान निवासी ग्राम उसिया थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष।
2. मोहम्मद मारुफ खान पुत्र मोहम्मद हसीब खान निवासी वार्ड नं0- 01 दिलदारनगर थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 23 वर्ष।
3. अमानत खान पुत्र स्व0 फिरोज अहमद खान निवासी मीरापुर चांदमारी थाना शिवपुर जनपद वाराणसी मूल पता ग्राम उसिया थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

01.एक सफेद रंग की पालीथीन मे पैक 268.47 ग्राम भूरे रंग का पाउडर (कीमत करीब 60 लाख रूपये)

02.एक अदद वाहन महिन्द्रा XUV-500 काले रंग की रजि नं0 UP 32 FJ 1598

03.एक अदद मोटरसाइकिल यामाहा R-15 रजि0 नं0 UP 65 BC 8086

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 101/2024 धारा 8/21 NDPS अधिनियम थाना बड़ागाँव, कमिश्नरेट वाराणसी।

पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष आशीष मिश्रा, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
2. उ0नि0 शिवानन्द सिसौदिया चौकी प्रभारी हरहुआ, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
3. उ0नि0 सुनील कुमार गौड़, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
4. उ0नि0 अमित कुमार पाण्डेय, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
5. उ0नि0 विवेकानन्द द्विवेदी, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
6. उ0नि0 प्रवीण सचान, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
7. हे0का0 रामविलास यादव, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
8. हे0का0 अरमान आलम, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
9. का0 अंकित सरोज, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
10. का0 अभिषेक वर्मा, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
11. का0 पंकज सिंह, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
12. का0 दुर्गेश कुमार सिंह, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।
13. का0 रविरंजन कुमार, थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी।

`नोटः- पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन द्वारा पुलिस टीम को 25,000/- रु0 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया व प्रशस्ति पत्र दिया गया।`